बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०–05–49 / 2013...../ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 521 दिनांक 19.05.2016 द्वारा श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, वाल्मिकीनगर, प० चम्पारण के विरूद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री पंकज द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 23.09.2026 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 के द्वारा पक्ष रखा गया।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 831 दिनांक 12.03.2013 द्वारा श्री दिनेश कुमार पंकज के विरुद्ध आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप–पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 517 दिनांक 24.04.2013 द्वारा श्री पंकज से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री पंकज के पत्रांक 320 दिनांक 17.05.2013 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। उक्त बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं रहने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1375 दिनांक 27.09.2013 द्वारा कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण नहीं किये जाने, ज्ञान ज्योति कार्यक्रम से जुड़े दायित्वों का निर्वहन नहीं करने आदि आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री पंकज के विरूद्ध के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. उक्त के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 126 दिनांक 12.06.2014 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन में श्री पंकज के विरूद्ध गठित आरोपों में से चार आरोपों को पूर्ण रूप से प्रमाणित तथा शेष आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित किया गया। तदालोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 348 दिनांक 29.05.2015 द्वारा श्री पंकज से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री पंकज के पत्रांक 01 (प्रशिक्षण) दिनांक 22.06.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

5. आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन के आलोक में प्रखंड संसाधन केन्द्र

आयोजित आवासीय प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों के अनुपस्थित पाये जाने, आवासीय प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण नहीं किये जाने, वॉलीबॉल प्रशिक्षण हेतु मध्य दिद्यालय से संबंधित सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने, ज्ञान–ज्योति कार्यक्रम हेतु बालिकाओं की सूची उपलब्ध नहीं कराने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाये जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 521 दिनांक 19.05.2016 द्वारा श्री पंकज के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री पंकज द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 25.04.2017 को सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरांत निर्णय लेखापित कराया गया लेकिन अपील आदेश निर्गत नहीं हो सका। उक्त के संबंध में प्रशाखा द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार को संज्ञान में लाया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि इस बीच अपीलार्थी द्वारा भी अपील आदेश निर्गत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं है। तदालोक में अनुशासनिक प्राधिकार के अपील सुनवाई किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर सुनवाई किए जाने हेतु समय दिया गया। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया लेकिन अधिरोपित दंड के कारणों के प्रतिउत्तर में कोई भी तथ्य नहीं रखा गया और न ही प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट हो सके कि आरोपी पदाधिकारी दोषी नहीं है।

7. अतः समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी, श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 521 दिनांक 19.05.2016 द्वारा अधिरोपित "असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक" के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

8. इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–08/आ०–05–49/2013–1123 पटना, दिनांक 13.10.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर, पटना, पत्राचार का पता–मुहल्ला–कच्ची दरगाह, थाना–फतुहाँ (नदी), जिला–पटना– 803201, मो० नं०–9431647989 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13/10/26
सचिव, शिक्षा विभाग।